

12<sup>7</sup>/<sub>23</sub>



पत्रावली आज पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी सं.

5, 6 को जवाब हेतु पर्याप्त समय

दिया जा चुका है। न्यायहित में इनका

जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी

सं 2, 3, 4 बावजूद तामील अनुपस्थित।

अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

अमल में लायी जाती है। तटस्थीलपाट से

रिपोर्ट प्राप्त जो शामिल पत्रावली की

जा चुकी है।

प्रार्थी वकील की एक-पक्षीय बहस

सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध





प्रयोग द्वारा दू-उबंघ विभाग से  
काम करवाया गया था जिसमें  
दू-उबंघ विभाग द्वारा जिन स्थानों  
का चिहनीकरण किया गया था उनमें  
से अधिकांश स्थानों पर प्रार्थीगण  
का कब्जा नहीं है तथा अप्रार्थीगण  
का कब्जा काइत है।”

अपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार  
यह विवेचन है कि प्रार्थी उस भूमि  
पर पत्थरगद्दी कराना चाहता है  
जो उसके कब्जे काइत में नहीं  
है, यह व्यावसंगत नहीं है।

प्रार्थी को पत्थरगद्दी से  
पूर्व वैधानिक तरीके से भूमि का  
कब्जा लेना होगा तत्पश्चात वह  
पत्थरगद्दी नियमानुरूप करवाने का  
अधिकारी होगा।

समस्त तथ्यों के आधार  
पर न्यायालय को यह व्यापैपित  
उत्तर नहीं होता कि प्रार्थी का

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज



शर्चना - पत्र स्वीकार फरमाया जाये।

अतः न्यायहल में शर्ची  
का शर्चना - पत्र खारिज किया  
जाता है। पत्रावली फेसल की  
जाकर नम्बर से कम करते हुये  
दाखिल दफ्तर की जाती है।  
निर्णय आज सेरे इजलास  
सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर  
वीथ का बरवाड़ा